



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 – 2788706(Dir.)/2786498(PME)



By Registered Post

F.No. 7(3) ARC for Hiring of JCB/2021-22/Adm.V

Dated: 12.07.2021

Annual Rate Contract for Hiring of JCB for JCB work for 2021-22 at ICAR-CAZRI, Jodhpur

1. Last date and time for submission of tender : 23.07.2021 up to 03.00 p.m.
2. Date and time for opening the tender : 23.07.2021 at 03.30 p.m.

Note: *The tender form and other details are available on CAZRI website www.cazri.res.in. The interested Agency/Contractor/firm of repute may download the tender document from CAZRI official website and submitted the ADMN-V, CAZRI, Jodhpur office by or before the due date & time.*

From:-

Assistant Administrative Officer,
Adm-V, CAZRI,
Jodhpur 342 003

To

M/s _____

Sub:- Tender Document for Annual Rate Contract for Hiring of JCB for JCB Work for 2021-22 at ICAR-CAZRI, Jodhpur - regd.

Sir,

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited from interested Agency/Contractor/firm of repute for carrying out "Preparation and maintenance of sapling of fruit tree at CAZRI, Jodhpur" under Work Contract. Other details and Terms & Conditions are enclosed herewith as Annexure-I & II.

2. The tender must be submitted to this Office by or before **Due Date i.e. 23.07.2021 up to 03.00 P.M.** by Courier/Registered Post/Speed Post in sealed cover, failing which it will not be considered.
3. The Tender is to be opened on **Due Date i.e. 23.07.2021 at 03.30 P.M.** at CAZRI, Jodhpur.

Yours faithfully,

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER (V)
For DIRECTOR

Encl: As above {Annexure-I (अ तथा ब)& II}

**तकनिकी बिड
(प्रपत्र- अ)
फर्म/ठेकेदार का विवरण**

1. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम :
2. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता :
मैसर्स
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.
(ब) ई.मेल पता :
4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण :
(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर :
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :
7. जी.एस.टी, नम्बर :
8. फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता :
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर:..... बैंक खाता नम्बर :
यदि डी.डी./बैंकर चैक है तो ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में
9. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit): **रु. 4000/- ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में**
डी.डी./बैंकर चैक नं. दिनांक बैंक का नाम
10. निविदा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि **23.07.2021** को **दोपहर 03.00 बजे** तक निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन खण्ड-पंचम् के टेन्डर बॉक्स में डलवावें। लिफाफे पर Annual Rate Contract for Hiring of JCB for JCB Work for 2021-22 at ICAR-CAZRI, Jodhpur लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 11- विस्तृत जानकारी हेतु देखें काजरी वेबसाइट: www.cazri.res.in

हस्ताक्षर निविदादाता (मोहर सहित)

तकनीकी बिड
(प्रपत्र- ब)

ठेके की सामान्य शर्तें एवं नियम-

1. ठेकेदार स्वयं उपस्थित होकर कार्य स्थल का जायजा कार्यालय समय के दौरान ले सकते हैं ।
2. प्रत्येक जे.सी.बी. के लिए किराया शुल्क की दर प्रति घण्टा (per hour) में जिसमें चालक, पी.ओ.एल., रख रखाव, वाहन की मरम्मत, बीमा, परमिट, फिटनेस इत्यादि चार्जेंज सम्मिलित हो उद्धृत (quote) की जानी चाहिए ।
3. सफल निविदादाता को कार्यादेश मिलने पर अमानत राशि (Performance Security) बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में कार्यआदेश राशि का 6 प्रतिशत अथवा रू.18,000/- एकमुश्त संस्थान में जमा कराना होगा जोकि कार्य समाप्त होने के 60 दिन पश्चात तक वैध रहेगी। सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह (7 दिन) की अवधि में यह अमानत राशि(Performance Security) जमा करानी होगी और ठेका-कार्य आरम्भ करना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता/करती हैं तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आवंटित ठेका निरस्त माना जायेगा और भविष्य में उस ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
4. संस्थान किराये पर लिये गये जे.सी.बी की किसी भी प्रकार की टूट-फूट/क्षति, मरम्मत/दुर्घटना, चालान आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । किराये पर लिये गये जे.सी.बी. के कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना होने पर/अथवा चालक की अज्ञानता/लापरवाही के कारण जे.सी.बी./वाहन क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में संबंधित सेवा प्रदाता ठेकेदार/एजेन्सी को ऐसी किसी भी प्रकार की हानि/क्षति/दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।
5. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना पैन (PAN) नम्बर/टीन (TIN) तथा जी,एस,टी, (GST) नम्बर अवश्य लिखें एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
6. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए । अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
8. बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
9. ठेकेदार/फर्म को संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है ।
10. ठेकेदार/फर्म को अपने जे.सी.बी. संख्या, जे.सी.बी. चालक /श्रमिकों की सूची फार्म अधीक्षक/पी0आई0 को प्रस्तुत करनी होगी ।
11. ठेकेदार/फर्म द्वारा लगाए गए जे.सी.बी पर चालक /श्रमिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, सभी श्रमिकों को हिन्दी में बातचीत करने का यथा सम्भव ज्ञान होना चाहिए ।
12. ठेकेदार/फर्म को जे.सी.बी. ठेका कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जे.सी.बी. की व्यवस्था करनी होगी। संविदा कार्यों के लिए मॉग-कर्ता (इन्डेन्टर/पी0आई0) को कार्य की आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। कार्य विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, सुपर-वाइजर के निर्देशानुसार सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न करना होगा ।
13. फार्म में करवाए जाने वाले कार्य की मात्रा में कमी/बढोतरी की जा सकती हैं।
14. ठेकेदार द्वारा सही पद्धति से/संतोषजनक संविदा कार्य नहीं होने पर/असंतोषजनक कार्य की शिकायत पर अथवा ठेका कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर पी.आई. द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर तुरन्त प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। कार्य को उचित निर्देशानुसार संतोषजनक ढंग से करना होगा। असंतोषजनक कार्यों पर उचित कटौती की जाएगी। यदि ठेकेदार/फर्म कार्य कि नियम व शर्तों व कार्य की आवश्यकता के अनुसार जे.सी.बी. की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो ठेका कार्य को बिना कारण बताए/बिना पूर्व सूचना के बिना रद्द करने का/अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का/सुरक्षा राशि जब्त करने का, अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
15. ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा ।
17. किराये पर लिये गए जे.सी.बी से कार्य करने के दौरान चालक नशीला पेय या दवाओं का उपभोग नहीं करेगा ।
18. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा । यह कोई भी कारण बताए बिना एक वर्ष की अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है अथवा बढ़ाया जा सकता है यह निदेशक, भाकू.अनु.प.-के.शु.क्षे.अनु.सं., जोधपुर के विवेक पर है ।
19. किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना की स्थिति में यह संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा और संस्थान के विरुद्ध किसी माननीय न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा । इसका समस्त दायित्व वाहन स्वामी का होगा ।
20. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान अथवा मरम्मत का भुगतान देय नहीं होगा ।

22. कार्यावधि में ठेकेदार के किसी चालक/श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
23. भुगतान समय-समय पर जो कार्य/एक्टिविटी पूर्ण होगी उसका भुगतान संबंधित पी0आई0/वैज्ञानिक/अधिकारी के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात कियाजायेगा।
24. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे-ESI/EPF/Service Tax etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका का पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के सलग्न रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
25. स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात पूर्व प्राप्य बिल की तीन प्रतियाँ श्रीमान निदेशक, काजरी जोधपुर के नाम भुगतान हेतु इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका भुगतान संबंधित पी0आई0/वैज्ञानिक/अधिकारी के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात देय होगा।
26. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जाएगी।
27. परिषद्/संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। वे केवल श्रमिक/ठेकेदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे।
28. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
29. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के 0 शु0क्षे0अ0सं0 (CAZRI) का होगा।
30. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

इच्छुक ठेकेदार/फर्म अपनी दर दिनांक 23.07.2021 समय 3.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा बॉक्स में डालें। निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक व समय के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त नियम व शर्तें ध्यान से पढली है एवं इनकी अनुपालना के लिए मैं/ हम बाध्य रहूँगा/रहेंगे। किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना / कथन, एवं कार्य आदेश दिये जाने पर संविदा कार्य एवं संविदा श्रमिकों के लिए मैं/हमारी फर्म / एजेन्सी पूर्ण जिम्मेवार होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)

**वित्तीय निविदा
(Financial Bid)**

सेवा में,

निदेशक,

काजरी, जोधपुर।

महोदय,

Annual Rate Contract for Hiring of JCB for JCB Work for 2021-22 at ICAR-CAZRI, Jodhpur के लिए संस्थान के निविदा आमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित दर प्रस्तुत किये जाते हैं:

S.No.	Particulars	Rate Rs. (per hour)
1.	Annual Rate Contract for Hiring of JCB for JCB Work for 2021-22 at ICAR-CAZRI, Jodhpur	Rs. per hour

रूपये शब्दों में (प्रति घण्टा) :

रूपये अंकों में (प्रति घण्टा) :

नोट :- उपरोक्त दर में सभी प्रकार की सरकारी शुल्क अर्थात् जी,एस,टी, एवं अन्य कर इत्यादि सम्मिलित होगा है।

हस्ताक्षर निविदादाता (मोहर सहित)